राजस्व वाद संख्या:-157 / 2022
महेन्द्र कुमार बनाम ओमप्रकाश वगै0
निर्णय दिनांकः- 04/08/....2025

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी:-

श्री दीपक चंदन (आर.ए.एस.)

मु0नं0 157 / 2022

1. महेन्द्र कुमार पुत्र कालूराम उम्र 77 साल जाति ब्राहमण निवासी पिलानी तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान

– आवेदक

1. ओमप्रकाश पुत्र दुलीचन्द जाति जाट निवासी पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान

दौराने प्रार्थना पत्र मृतक

1/1. महेन्द्र पुत्र स्व० ओमप्रकाश जाति जाट निवासी पिलानी तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान

1/2. माया पुत्री स्व० ओमप्रकाश जाति जाट निवासी पिलानी तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान

2. गंगाधर पुत्र दुलीचन्द जाति जाट निवासी पिलानी तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान
3. राजकुमार पुत्र पहावीर प्रसाद जाति जाट निवासी पिलानी तहसील सूरजगढ जिला सुन्झुनू राजस्थान
4. श्यामसुन्दर पुत्र नागरमल जाति जाट निवासी पिलानी तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान
5. सुनिता पुत्री महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी पिलानी तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान
6. चन्द्रकलां पत्नी नथमल शर्मा उम्र 75 साल जाति ब्राहमण निवासी पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान
7. संतोष पत्नी अशोक शर्मा उम्र 72 जाति ब्राहमण निवासी नजफगढ़ दिल्ली
8. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा प्रबन्धक बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा पिलानी तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान

–अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अ0धा0 251 (क) उपधारा (1)
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
निर्णय

संक्षेप में तथ्य प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि यह कि वाके ग्राम पिलानी की सरहद में स्थित भूमि हाल ख०न० 413 रकबा 0.6675 हैक्टर, ख0न0 494 रकबा 0.01 हैक्टर गै०मु०कुआ, ख०न0 495 रकबा 0.8125 हैक्टर, खसरा नम्बर 501 रकबा 1.2650 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 2.7550 हैक्टर मे हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार का प्रार्थी है तथा

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ

राजस्व वाद संख्या:-157 / 2022
महेन्द्र कुमार बनाम ओमप्रकाश वगै0
निर्णय दिनांक:-04/08/.....2025

हिस्सा 1/2 की खातेदार काश्तकार त्रिवेणी देवी पत्नी कालूराम थी उक्त त्रिवेणी देवी का स्वर्गवास हो चुका है त्रिवेणी देवी के वारिसान प्रार्थी व अप्रार्थी नं0 6 व 7 है।

यह कि वाके ग्राम पिलानी में अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 की संयुक्त खातेदारी की भुमि खेत खसरा नम्बर 415 रकबा 0.54 हैक्टर, ख0न0 423 रकबा 1.65 हैक्टर, खसरा नम्बर 424 रकबा 4.61 हैक्टर स्थित है। अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 की उपर वर्णित खातेदारी की भुमि के दक्षिणी सीवं से सटता हुआ एक आमा रास्ता गुजरता है।

यह कि वाके ग्राम पिलानी की सरहद में खेत खसरा नम्बर 413 रकबा 0.6675 हैक्टर प्रार्थी के कब्जे काश्त खातेदारी की भुमि है प्रार्थी को अपनी उक्त भुमि में फसल काश्त करने के लिये ट्रैक्टर, उट गाडा, पशु व अन्य वाहन लानें ले जाने के लिये ट्रेक्टर, उट गाडा, पशु व अन्य वाहन लाने ले जाने के लिये अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 की खातेदारी की भुमि ख0न0 415 रकबा 0.54 है0 की के दक्षिणी सींव पर स्थित कटानी रास्ते से भुमि खसरा नं. 413 तक एक 4 मीटर चोड़ा रास्ता जिसे नजरी नक्सा में मार्क ए से बी दर्शाया गया है कि आत्यन्तिक आवश्यकता है।

यह कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी की भूमि में आने जाने बाबत अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है तथा नजरी नक्सा में दर्शित लाल स्याही से बिन्दू ए से बी रास्ता प्रार्थी की भुमि में आने जाने के लिये सबसे निकटतम रास्ता है उक्त प्रस्तावित रास्ते से अन्य कोई निकटतम दूरी का रास्ता नहीं लगता है प्रार्थी को प्रस्तावित रास्ते की अति आवश्यकता है। इसलिये अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 की भुमि खसरा नम्बर 415 के दक्षिणी सीमा पर स्थित आम रास्ते से प्रार्थी की भुमि खसरा नम्बर 413 की दक्षिणी सीमा तक जिसे नजरी नक्सा में लाल स्याही से दर्शित बिन्दु ए से बी तक चार मीटर चोडे रास्ते की आवश्यकता है। इसलिये नजरी नक्सा में लाल स्थायी से दर्शित बिन्दु ए से बी भाग को चार मीटर चोडा रास्ता घोषित किया जाना न्यायोचित है।

यह कि आवेदक उक्त भूमि में से रास्ता प्राप्त करने बाबत नियमानुसार माननीय न्यायांलय के आदेशानुसार राशि देने को तैयार है इसलिए उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जाना आवश्यक है ।

अतः आवेदन पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि कि प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की भूमि ख0न0 413 ग्राम पिलानी की दक्षिणी सींव से अप्रार्थी नं. 1 लगायत 5 की भूमि ख0न0 415 स्थित ग्राम पिलानी में से दक्षिणी सीव पर स्थित आम कटानी रास्ते तक की एक रास्ता जिसे नजरी नक्से में बिन्दू ए से बी दर्शाया गया है को 4 मीटर चोड़ा रास्ता घोषित किया जाना फरमाया जावे तथा खसरा नम्बर 415 की जो भुमि रास्ते में जायेगी उस भुमि को रहन मुक्त घोषित किया जाना भी फरमाया जावे एवं अप्रार्थी नं. 9 को आदेशित किया जावे कि उक्त रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार पिलानी से मौका जांच रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गयी । अप्रार्थीगण को बार बार आवाज लगाई गई आवाज पर अप्रार्थी न तो स्वयं हाजिर आए ना ही उनकी तरफ से कोई अधिवक्ता हाजिर आए। अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्या:–157/2022
महेन्द्र कुमार बनाम ओमप्रकाश वगै0
निर्णय दिनांक:– 04/08/...2025

अमल में लाई गई। प्रकरण में तहसीलदार पिलानी से मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गयी।

बहस सुनी गई

वादी वकील की बहस सुनी गयी। बहस एवं तहसीलदार से प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट क्रमांक राजस्व/2023/85 दिनांक 06.02.2023 का अवलोकन किया गया। उक्त मौका जांच रिपोर्ट के अनुसार आवेदक द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा राजस्व ग्राम पिलानी की भूमि खसरा नं. 413 के लिए वर्तमान में कोई कटानी रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। मौके पर प्रस्तावित भूमि खाली है। प्रस्तावित रास्ते को नजरी नक्शे में बिन्दु ए से बी तक लाल स्याही से दर्शाया गया है जो खसरा नं. 415 के पश्चिम सीमा के सहारे सहारे रास्तें का कुलं क्षेत्रफल 336 वर्ग मीटर है को कायम किया जाना न्यायोचित पाता है।

आदेश

तहसीलदार पिलानी की मौका रिपोर्ट राजस्व/2023/85 दिनांक 06.02.2023के साथ भू0अ0 निरीक्षक रिपोर्ट में अंकित नक्शा में दर्शित भूमि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 413 मौजा पिलानी में आने जाने के लिए नजरी नक्शे के मुताबिक खेत खसरा नम्बर 415 में से लाल स्याही से अंकित तक बिन्दू ए से बी तक खसरा नं. 415 की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे कुल क्षेत्रफल 336 वर्ग मीटर अप्रार्थीगण भूमि में से लाल स्याही से अंकित रास्ता रास्ता कायम किया जाना की घोषणा की जाती है। तहसीलदार पिलानी को निर्देशित किया जाता है कि वह रास्ते में जाने वाली भुमि की निर्धारित डी.एल.सी. दर से दुगुनी राशि आवेदक से जमा कर संबधित खातेदार को उनके हिस्से अनुसार दी जावे। रास्ते के नाप में अगर कोंई परिवर्तन होता है तो तहसीलदार अपने स्तर पर निस्तारण करे व रास्ते में आने वाले पेड़ या अन्य बाधा को हटाया जाता है तो उसका हर्जा खर्चा प्रार्थी से वसूल किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में रास्ते को अमल दरामद करे। तहसीलदार पिलानी की रिपोर्ट निर्णय का भाग रहेगा।

(श्री दीपक चंदन आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 04/08/....2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से सरे इजलास में सुनाया गया।

(श्री दीपक चंदन आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़